न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 11 / 2018
दायर दिनांक : 22 / 02 / 2018
निर्णय दिनांक : 13 / 11 / 2025

उनवान

1 नारायण पिता भैरूलाल लौहार निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
2 दुर्गाशंकर पिता भैरूलाल लौहार निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
3 पप्पूलाल भैरूलाल लौहार निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
4 मु0 शांति भैरूलाल लौहार निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा
5 मु0 कमला भैरूलाल लौहार निवासी फतहनगर तहसील मावली
6 मु0 जानीबाई विधवा भैरूलाल लौहार निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1 प्रहलाद पिता उदयलाल मेनारिया निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
2 मु0 कमला विधवा उदयलाल मेनारिया निवासी चोरवडी तहसील भूपालसागर
3 तहसीलदार भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री कृष्ण गोपाल, वकील वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंर्तगत धारा–88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :

यह है कि ग्राम चोरवडी तहसील भूपालसागर के आ0न0 136 रकबा 2 विधा जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 के पति के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त में से दस बिस्वा आराजियात के पडौस इस प्रकार है :– पूर्व – आराजियात का शेष हिस्सा, पश्चिम– लक्ष्मण पिता जीतमल मेनारिया, उत्तर – विकेता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कुआं, दक्षिण –सरकारी पडत जमीन है तत्कालीन खातेदार उदयलाल मेनारिया ब्राहाण जिसके वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 25.05.1973 को जरिए रजिस्टर्ड विकयपत्र से भैरूलाल पिता देवकिशन लौहार निवासी चोरवडी को के वारीसान हम वादीगण है को विकय कर कब्जा सौंप दिया जो आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। उक्त ग्राम की पैमाईश हो जाने से पुराने नंबर 138 के नए नंबर 1165 1169 1170 1171 1172 बनाए गए है विकेता खातेदार उदयलाल पिता सूरजमल मेनारिया फौत हो गए जिसके वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 2 व खरीददार भैरूलाल पिता देवकिशन लौहार का भी देहांत हो गया है जिसके सभी वारीसान हम वादीगण है विकयपत्र दिनांक 25.05.1973 के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नही हुआ है जबकि वादीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा है व वर्तमान में वादीगण आराजी न0 1165 1170 1171 पर काबिज है जिससे हम वादीगण यह घोषणा कराने के अधिकारी है कि ग्राम चोरवडी की आ0न0 1165 1170 1171 हम वादीगणों के खातेदारी की है व राजस्व रेकार्ड में वादीगण अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 2 राजस्व रेकार्ड का नाजायज फायदा उठा हम वादीगणों को बेदखली को उतारू है जिससे उन्हे जरिए स्थाई निषेधाज्ञा ऐसा नही करने बाबत भी रोका जाना जरूरी है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामिल प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्र दाधीच ने अधिकार पत्र पेश किया, वकील प्रतिवादी का जवाब दिनांक 27.09.2022 को बंद किया गया एवं दिनांक 03.12.2024 को कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील वादी ने साक्ष्यवादी में दुर्गाशंकर PW1 का शपथ पत्र पेश किया, जो कि शामिल पत्रावली है, और साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य वादी दिनांक 26.08.25 को बंद की गई।

वकील वादी ने सीधे ही बहस सुनी [illegible] वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते [illegible] खा[illegible]री अधिकार की घोषणा की जान का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:07:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

हमने पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड, हाल–साबिक जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण में कार्यवाही एकतरफा होने व वकील वादी के द्वारा सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन करने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने बहस उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात वादी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिचार करने से वादी अपना वाद अपने पक्ष में साबित नहीं करा पाया है। अतः वादी का वाद अंर्तगत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:07:59 IST
Reason: SelfAttested